



मध्यार्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(उपरो सरकार का उपक्रम)
कार्यालय अधिशासी अनियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-तम्मुआ
सुलतानपुर

Email ID: eddlambhua@gmail.com

CIN: U51201UP2013SG012148

पत्रांक 146/2023/वि0वि0ख0-त0(सु0)/ टी0सी0

विषय: टी0सी0 की धनराशि जमा कराने हेतु।

सेवा में,

श्री रामकृपाल पुत्र शितलादीन

ग्राम व पोस्ट- अलहदादपुर, सुलतानपुर।

आवेदन सं०-10108233373 पी0टी0डब्लू0 पोर्टल पर

आपको सूचित किया जाता है कि 03 एच0पी0 निजी नलकूप (एन0एन0पी0-3) के विद्युत संयोजन हेतु मार स्वीकृत सं०-573 दिनांक 15.06.2023 देने में अंकन रु० 2241.00 मार का प्राकलन स्वीकृत किया गया है। उक्त संयोजनों को देने हेतु निम्नलिखित धनराशि व्यय होगी।

कृपया आपसे निवेदन है कि इस टी0सी0 में अंकित निम्नलिखित धनराशि इन कार्यालय में इस पत्र पर अंकित तिथि से तीन महिने के अन्दर जमा कर दें अन्यथा समझा जायेगा कि आप उक्त संयोजन लेने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके अनुसार उक्त मार की स्वीकृती रद्द कर दी जायेगी तथा प्रकरण शुल्क धनराशि उक्त कर ली जायेगी।

क्रम सं०	विवरण	धारा(का)
1.	इस्टीमेट चार्ज	रु०
2.	मीटर चार्ज	रु०
3.	सर्विस कनेक्शन चार्ज	रु० 872.00
4.	प्रतिमूर्ति राशि (सिक्वोरिटी)	रु० 468.00
5.	लेबर सेष 1 प्रतिशत	रु० 901.00
		रु० 2241.00

उपरोक्त धनराशि को पी0टी0डब्लू0 पोर्टल पर आनलाइन जमा कर साथ ही निम्न अम्बिकाएँ एवं दो गवाहों के साथ किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करें।

क-बी0 एण्ड एल0 फार्म की तीन प्रतियां।

ख-निरीक्षण शुल्क(ट्रेजरी चालान द्वारा)।

ग-नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर (रु० 100.00)

घ-अन्तिम भुगतान रसीद की छायाप्रति।

1-उक्त इकाई के लाइन निर्माण रेस्पो.उपरोपा0का0ति0 लेखनक के मानकों के अनुसार ही होगा।


2-लाइन निर्माण के समय कोई भी स्थानीय विवाद उत्पन्न होने पर उपरोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

3-उक्त संयोजन पर मीटर लगाने के उपरान्त ही संयोजन उर्जोक्त किया जायेगा।

4-प्राकलन में अंकित सामग्री का मूल्य पुनरोक्षित होने एवं लाइन निर्माण तानवी संख्या में परिवर्तन होने को दशा में पुनरीक्षित टी0सी0 निर्गत की जायेगी।

5-अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किया जायेगा एवं किसी दिवस के लिए आम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6-उक्त संयोजन पर मीटर लगाने हेतु मीटरिंग रुम का निर्माण होने के पश्चात ही संयोजन उर्जोक्त किया जायेगा।


(जयदीप पटेल)
अधिशासी अनियन्ता

पत्रांक...../वि0वि0ख0-त0(सु0)/ /तददिनांक.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, तम्मुआ/वांदा सुलतानपुर।
2. अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड-तम्मुआ।
3. केशियर (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड-तम्मुआ।
4. लेखाकार (राजस्व), विद्युत वितरण खण्ड-तम्मुआ।

(जयदीप पटेल)
अधिशासी अनियन्ता